

1

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”

(राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

सर्व
10/24
84
1/2024

सेवा में,
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
हमीरगढ़
विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम हमीरगढ़ की जमावन्दी संवत्...
2073 से 2076 के खाता संख्या 1739 में मेरा नाम समजीदा पुत्री
कादर के बजाय समझना पुत्री कादर करवाने की
कृपा करावे। सलंगन-दस्तावेज

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक 01/07/24

सकल
प्रार्थी

(समझना पुत्री कादर जिन्दी)

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम हमीरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड जमावन्दी संवत् 2073
से 2076 के खाता संख्या 1739 में प्रार्थी का नाम समजीदा पुत्री कादर
जिन्दी दर्ज है। जबकि मुताबिक सलंगन दस्तावेज व जानकारी के
अनुसार खातेदार का सही नाम समझना पुत्री कादर है जो संशोधित किया
जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि.

27/7/24
रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

अधोक्ष
पटवारी
तह- हमीरगढ़ (भोलवाड़ा)

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी हमीरगढ़ व भू.अ.नि. हमीरगढ़ एवं प्रार्थी द्वारा
सलंगन दस्तावेज के आधार पर ग्राम हमीरगढ़ की जमावन्दी संवत् 2073 से
2076 की खाता संख्या 1739 में प्रार्थी का नाम समजीदा पुत्री कादर जिन्दी
के बजाय समझना पुत्री कादर किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

पु.सं. दि-1/8/24
27/24

तहसीलदार / नायब तहसीलदार
हमीरगढ़

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ़ ग्राम हमीरगढ़ जमावन्दी संवत् 2073-2076
खाता संख्या 1739 में दर्ज प्रार्थी का नाम समजीदा पुत्री कादर के
स्थान पर समझना पुत्री कादर संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)